2. Any enquiry, as and when received, is circulated by STC to all its associate suppliers including Public Sector undertakings for sending offers as per buyers requirements. Taking into account the lowest prices quoted by suppliers, corresponding to the shipment period and the quantity required by the buyer, the offers are sent to the foreign buyer. The reason for lower share of Gujarat State Export Corporation in the business has been their quoting higher prices consistently as compared to other parties. A total quantity of 20,796 MTs has been exported /rom India during the period from 1st April, 1988 till 21st February, 1989. Main exports are to USSR, GDR, Japan, and Nepal. Out of the above total quantity exported so far, Gujarat State Export Corporation offered 500 MTs at competitive prices and shipped 496 MTs. As all the registered associate suppliers of STC, including state public undertakings are given equal opportunity to participate in the tender, other things being equal, the quantities are allocated on the basis of prices quoted by the individual suppliers.

Expansion of trade between India and China

268. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any talks have recently been held with China for expansion of trade between the two countries;

(b) if so, what are the details of the discussions held; and

(c) what is the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P;R. DAS MUNSHI): (a) Yes, Sir.

(b) Both sides recognised the need for closer economic cooperation consistant with the existing complementary ties in the two economies. The Indian side indicated out capabilities in areas such as Hotel Industry, Automobiles, Engineering goods etc. The Chinese side taking note of our capabilities promised to explore the possibilities particularly of using Indian expertise in Hotel Industry. India indicated its need for more silk from China.

(c) The talks were held in December, 1988 at Beijing and it is too early to assess the outcome.

दहेज के कारण हुई मौतें

269. डा. अबरार अहमद खानः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में प्रति वर्ष कितनी महिलाओं की दहेज के कारण हत्या की गयी और इन मामलों में अब तक कितने अपराधियों को पकड़ा गया तथा कितनों को सजा दी गयी;

(ख) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में कितनी दहेज संबंधी हत्याएं हुई तथा कितने लोग पकड़े गए और कितनों को सजा दी गई और क्या सरकार कानून को और अधिक कठोर बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या इस बुराई से लड़ने के लिए महिलाओं को शिक्षित करने के वास्ते सरकार द्वारा कोई अभियान चलाया जा रहा है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) वर्ष 1986, 1987, और 1988 के दौरान दहेज मामलों के कारण जिन महिलाओं की मृत्यु हुई उनकी संख्या का राज्यवार और संघ शासित क्षेत्र-वार विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट 149, अनुपत्र सं. 10]**

अपराधों को दर्ज करने, जांच करने और पता लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। पकड़े गए अपराधियों की संख्या और अपराध/मामलों में दोष-सिद्ध व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा एकत्रित और संकलित नहीं की जाती है।

(ख) राजस्थान में दहेज मामलों के कारण वर्ष 1986,1987 और 1988 (नवम्बर तक) में क्रमशः 84,113 और 102 महिलाओं की मृत्यु हुई।

इन मामलों में पकड़े गए और दोष- सिद्ध व्यक्तियों की संख्या के विषय में सूचना केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

कानून को संशोधित करने के लिए भारत सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) इस समय इस संबंध में सीधा अभियान चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आतंकवादियों द्वारा मारे गये व्यक्ति

270. **डा. अबरार अहमद खान:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब तथा अन्य स्थानों पर आतंकवादियों द्वारा अब तक कितने व्यक्ति मारे गये है। मृतकों के परिवारों को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है और ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है जिनके परिवार का मुखिया मारा गया है और क्या सरकार ने सम्बद्ध परिवारों के पुनर्वास के लिए कोई प्रबंध किये है; और

(ख) राजस्थान सीमा पर कितने आतंकवादी पकड़े गये है और उनके सीमा के अन्दर प्रवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा आतंकवादियों द्वारा राजस्थान में अब तक कितने व्यक्ति मारे गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वन अनुरक्षण कार्य पर खर्च की गई धनराशि

271. **डा. अबरार अहमद खान:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 3 वर्षों के दौरान में वनों के विकास तथा वनों के अनुरक्षण पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई और वनों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार के प्रयास तथा वनों के विकास और अनुरक्षण कार्य पर धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद वनों का काटा जाना जारी है और इस कार्य में वनों की रक्षा करने वाले कार्मिक भी अन्तर्ग्रस्त हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उनको क्या सजाएं दी गई; और

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान राजस्थान में वनाच्छादित क्षेत्र कितना था तथा इस समय कितना क्षेत्र वनाच्छादित है और इन 3 वर्षों के दौरान राज्य में वनों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई और वनों के विकास तथा अनुरक्षण के संबंध में इस समय राज्य में चालू योजनाओ के नाम क्या-क्या है तथा वनों में वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जैड० आर० अंसारी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वनों के विकास तथा संरक्षण पर व्यय की गई धनराशि और वनरोपण की वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वनों के संरक्षण के लिए किए गए उपाय संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं। इन उपायों से निम्नलिखित प्रभाव पड़े:-

(1) वेनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने की वार्षिक औसत दर 1980 से पूर्व 1.5 लाख हेक्टेयर थी, जो 1980-88 की अवधि के दौरान कम होकर 15,000 हेक्टेयर रह गई।

2. वनरोपण की वार्षिक दर 1985-86 में 1.45 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 1988-89 में लगभग 2 मिलियन हेक्टयर हो गयी।

(ख) 1972-75 से 1980-82 की अवधि के बीच किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि वननाशन 1.3 मिलियन हेक्टेयर की दर से हो रहा है। जब कभी अवैध रूप से वृक्ष काटने की शिकायत प्राप्त होती है, संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागू नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(ग) 1981—83 के वर्षों में राजस्थान में वन आवरण के तहत 12,478 वर्ग किमी० क्षेत्र था। उसके पश्चात् वन आवरण के विस्तार के मूल्यांकन के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। गत तीन वर्षों के दौरान